

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0जयपुर

क्रमांक: ई-18/एम/187/परिवीक्षा/जोन-जोधपुर/2024/

दिनांक :-

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालियक सेवा नियम 1999 के नियम 41 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रुल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में श्री राहुल शर्मा, कनिष्ठ सहायक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल पीपाड़ शहर, जोधपुर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 06.04.2022 है तथा जिन्होंने दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 05.04.2024 को पूर्ण कर ली है का दिनांक 06.04.2024 से रुपये 20800/- (लेवल-5) पर वेतन नियतन करते हुए इन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है। इनके द्वारा आरएससीआईटी परीक्षा दिनांक 11.06.2013 को उत्तीर्ण कर ली गई है एवं टंकण परीक्षा दिनांक 22.06.2023 को उत्तीर्ण कर ली गई है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0,जयपुर

क्रमांक: ई-18/एम/187/परिवीक्षा/जोन-जोधपुर/2024/125

दिनांक :- 22/05/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल पीपाड़ शहर, जोधपुर।
- ✓3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
4. श्री राहुल शर्मा, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0,जयपुर

RajKaj Ref
7311691

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :22-05-2024 11:43:58